न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–74/2017

त्रिपुरारी मणि मिश्र...वादी

बनाम

होसिला शर्मा एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
28.11.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वाद पुकार किया गया। वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 28.10.2024 अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन में कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–02 कोकिला शर्मा की मृत्यु दिनांक 26.10.2024 को हो चुकी है। मृतक अपने पीछे अपने विधिक वारिसानों के रूप में दो पुत्र हनुमान शर्मा एवं उमेश शर्मा को छोडकर मरे। अतः प्रतिस्थापन आवेदन स्वीकार कर मृतक के स्थान पर उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाय। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 28.11.2024 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि आवेदन कानून एवं तथ्य के दृष्टिकोण से खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी सं0–02 दिनांक 26.10.2024 को दो पुत्र हनुमान शर्मा, उमेश शर्मा एवं अपनी विधवा उमरावती देवी तथा दो पुत्री श्रीमति एवं रिया देवी उर्फ सदा देवी को छोडकर मरे है, जो प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–02 कोकिला शर्मा की मृत्यु हो चुकी है, जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते है तथा प्रतिवादीगण द्वारा उनके विधिक वारिसानों में दो पुत्र सहित उनकी विधवा पत्नी उमरावती देवी तथा दो पुत्री श्रीमति एवं रिया देवी उर्फ सदा देवी का नाम भी प्रतिस्थातिप करने का निवेदन किया गया है। वादी द्वारा दाखिल आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियमन K Rudrappa V/S	

<u>न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–74/2017</u>

त्रिपुरारी मणि मिश्र...वादी

बनाम

होसिला शर्मा एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार **28.11.2024**	Shivappa AIR 2004, SC 4346 एवं Ganesh Prasad Badrinath Lahoti V/S Sanjeev Prasad Jamuna Prasad Chaurasia AIR 2004, SC 4158 के आलोक में तथा न्यायहित में वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 28.10.2024 स्वीकार किया जाता है, तद्नुसार मृतक के स्थान पर आवेदन में वर्णित मृतक के विधिक वारिसानों में पत्नी उमरावती देवी, दो पुत्र हनुमान शर्मा, उमेश शर्मा एवं दो पुत्री श्रीमति एवं रिया देवी का नाम प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी जाती है। वादी प्रतिस्थापन करें तदपश्चात् समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। कार्यालय जॉंचोपरांत समन जारी करें। वाद दिनांक 07.12.2024 वास्ते उपस्थिति हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	